



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27062022-236850  
CG-DL-E-27062022-236850

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2764]  
No. 2764]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 27, 2022/आषाढ़ 6, 1944  
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 27, 2022/ASHADHA 6, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2022

का.आ. 2904(अ).— केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में भारत सरकार के अधिसूचना संख्या का. आ. 3471(अ) दिनांक 25 अगस्त 2021 और (2) का. आ. 5090(अ) दिनांक 8 दिसम्बर 2021, भारत के राजपत्र में प्रकाशित असाधारण भाग -(II) , खण्ड-3 उप-खण्ड (ii) 3471(अ) दिनांक 25 अगस्त 2021 और (2) का. आ. 5090(अ) दिनांक 8 दिसम्बर 2021 के दिनांकित में निम्ननाकित संशोधन करती है।

अधिसूचना का.आ. 3471(अ) दिनांक 25 अगस्त 2021 और (2) का. आ. 5090(अ) दिनांक 8  
दिसम्बर 2021, में

संशोधित

सक्षम प्राधिकारी - रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर, वारंगल  
जिला - वारंगल अर्बन  
भूमि का विवरण - राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-765DG

सक्षम प्राधिकारी -  
रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर,  
हनुमाकोण्डा

के कि.मी. 116/190 से कि.मी.137/132 तक

जिला - हनुमाकोण्डा

भूमि का विवरण -

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-

765DG

के कि.मी. 116/190

से कि.मी.137/132 तक

तेलंगाना राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -765DG के कि.मी. 116/190 से कि.मी.137/132 तक भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि सुधार रेवेन्यु डिविजनल ऑफिसर, वारंगल, जिला-वारंगल अर्बन के जगह पर रेवेन्यु डिविजनल ऑफिसर, हनुमाकोण्डा, जिला - हनुमाकोण्डा |

### अनुसूची

तेलंगाना राज्य के वारंगल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-765DG के कि.मी. 116/190 से कि.मी.137/132 तक भूमि का अधिग्रहण |

तेलंगाना राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-765DG के कि.मी. 116/190 से कि.मी.137/132 तक भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि सुधार रेवेन्यु डिविजनल ऑफिसर, वारंगल, जिला-वारंगल अर्बन के जगह पर रेवेन्यु डिविजनल ऑफिसर, हनुमाकोण्डा, जिला - हनुमाकोण्डा नामित होने के कारण |

As part of restructuring of Districts New CALA was appointed to Hanumakonda District.

[फा. सं. Lr.No.G1/3399/2018]

राजेश गुप्ता, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2022

**S.O. 2904(E).**— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government, hereby makes the following amendment in the notification of Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O.3471 (E), Dated the 25th August 2021 and (2) S.O.5090 (E), Dated the 8th December 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3 Sub Section namely: -

#### In the said Notification

Revenue Divisional Officer, Warangal Urban,  
in Warangal Urban District,

From Km 116/190 to 137/132 of NH-765DG

#### Amended

Revenue Divisional Officer, Hanumakonda,  
in Hanumakonda District,

From Km 116/190 to 137/132 of NH-765DG

**Note:** - Revenue Divisional Officer, Hanumakonda, in Hanumakonda District Nominated in place of Revenue Divisional Officer, Warangal Urban in Warangal Urban District for Land Acquisition of National Highway-765DG from Km 116/190 to 137/132.

Acquisition of land in respect of National Highway No.-765DG (Siddipet-Elkathurthy Road Length: 63.641 Km) in the state of Telangana on the stretch from Km 116/190 to 137/132

---

Due to restructuring of Districts, Revenue Divisional Officer, Hanumakonda, in Hanumakonda District Nominated in place of Revenue Divisional Officer, Warangal Urban in Warangal Urban District for Land Acquisition of National Highway-765DG from Km 116/190 to 137/132.

As part of restructuring of Districts New CALA was appointed to Hanumakonda District.

[F. No. Lr.No.G1/3399/2018]

RAJESH GUPTA, Director